

श्री राजेश कुमार, मा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक- 15.04.15 को आयोजित मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

समीक्षात्मक कार्रवाई की विवरणी :-

विगत माह दिनांक-12.02.15 को मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त से संबंधित मामलों की समीक्षा कर बैठक की कार्यवाही इस कार्यालय के ज्ञापांक-326/विधि, दिनांक-12.02.15 द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को अनुपालन हेतु भेजा गया। जिसके आलोक में प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, पूर्णियाँ, अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा, अंचलाधिकारी, बी0कोठी एवं सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्णियाँ द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अंतर्गत जाँच प्रतिवेदन भेजा गया है। इसी प्रकार बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग अंतर्गत अंचल कार्यालय धमदाहा/के0नगर/रूपौली, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/धमदाहा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर/बनमनखी, पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन भेजा गया है। शेष अन्य किसी भी कार्यालय द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया, जबकि कई मामलों में अलग से भी स्मारित किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/राज्य मानवाधिकार आयोग एवं माननीय लोकायुक्त से संबंधित लंबित परिवादों की स्थिति कार्यालयवार निम्न प्रकार है:-

5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: -

क्र0	कार्यालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	2	3
1	अंचल कार्यालय पूर्णियाँ पूर्व	3
2	अंचल कार्यालय, धमदाहा	1
3	अंचल कार्यालय, जलालगढ़	1
4	अंचल कार्यालय, रूपौली	1
5	प्रखंड कार्यालय, बनमनखी	2
6	अनुमंडल कार्यालय, बनमनखी	3
7	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बनमनखी	2
8	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ	1
9	उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ	6
	कुल योग	18

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त 18(अठारह) मामले संबंधित कार्यालय में लंबित है। जिसके विरुद्ध स्मार देने के बाद भी अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं

किया जा रहा है जो खेद जनक स्थिति है। लंबित मामलों की सूची कार्यवाही के साथ संलग्न है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर लंबित परिवादों का निष्पादन प्रतिवेदन अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

6. बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग: -

क्र०	कार्यालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	अंचल कार्यालय पूर्णियाँ पूर्व	3
2	अंचल कार्यालय, रूपौली	2
3	अंचल कार्यालय, बनमनखी	3
4	प्रखंड कार्यालय, बी०कोठी	1
5	प्रखंड कार्यालय, बनमनखी	1
6	अनुमंडल कार्यालय, सदर	2
7	अनुमंडल कार्यालय, बायसी	2
8	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बनमनखी	2
9	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर	2
10	भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धमदाहा	1
11	स्थापना उपसमाहर्ता, पूर्णियाँ	1
12	नोडल पदाधिकारी, बायसी	1
13	जिला उपभोक्ता फॉरम, पूर्णियाँ	1
14	उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ	1
15	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1
16	जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1
17	थानाध्यक्ष, बनमनखी	1
18	थानाध्यक्ष, कसबा	2
कुल योग		28

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त 28(अठाईस) मामले संबंधित कार्यालय में लंबित है। जिसके विरुद्ध स्मार देने के बाद भी अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा रहा है जो खेद जनक स्थिति है। लंबित मामलों की सूची कार्यवाही के साथ संलग्न है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर लंबित परिवादों का निष्पादन प्रतिवेदन अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

(Handwritten signature)

7. लोकायुक्त से संबंधित मामले : -

क्र०	कार्यालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1	अंचल कार्यालय पूर्णियाँ पूर्व	2
2	अंचल कार्यालय, रूपौली	1
3	अंचल कार्यालय, बी०कोठी	1
4	अंचल कार्यालय, कसबा	1
5	अंचल कार्यालय, बनमनखी	1
6	प्रखंड कार्यालय, पूर्णियाँ पूर्व	3
7	प्रखंड कार्यालय, भवानीपुर	1
8	प्रखंड कार्यालय, रूपौली	2
9	प्रखंड कार्यालय, धमदाहा	1
10	अनुमंडल कार्यालय, धमदाहा	2
11	स्थापना उपसमाहर्ता, पूर्णियाँ	5
12	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बनमनखी	1
13	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णियाँ	3
14	अपर समाहर्ता भू-हदबंदी, पूर्णियाँ	1
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1
16	जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1
17	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1
18	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना), पूर्णियाँ	1
19	जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ	1
कुल योग		29

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त 29(उनतीस) मामले संबंधित कार्यालय में लंबित है। जिसके विरुद्ध स्मार देने के बाद भी अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा रहा है जो खेद जनक स्थिति है। लंबित मामलों की सूची कार्यवाही के साथ संलग्न है। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर लंबित परिवादों का निष्पादन प्रतिवेदन अचूक रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

लोकायुक्त के परिवाद संख्या 88/09 श्री जयशंकर गुहा एवं 92/08 मो० हसन के मामले में लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व को दिया गया है। परिवाद संख्या-13/10 सुनिता देवी के मामलों में प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवानीपुर को तथा परिवाद संख्या 40/10 श्री उग्रमोहन दास के मामले में अंचल अधिकारी, बी०कोठी को लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया है। जिसके आलोक में संबंधित पदाधिकारियों से अनुपालन

प्रतिवेदन अप्राप्त है। इन्हें निदेश दिया जाता है कि इस मामले का अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करें।

ऐसे मामलों (जो माननीय आयोग/लोकायुक्त के समक्ष उपस्थिति से संबंधित है) में अनुपालन नहीं किया जाना घोर लापरवाही का द्योतक है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ-पूर्व/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, भवानीपुर एवं अंचलाधिकारी, बी०कोठी विलम्ब के कारणों को दर्शाते हुए अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।

समीक्षात्मक बैठक में पुनः सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि मानवाधिकार आयोग एवं लोकायुक्त से संबंधित मामलों के परिवाद पत्र पर जाँच प्रतिवेदन/कार्रवाई प्रतिवेदन स्मार की प्रतीक्षा किये बगैर प्रथमिकता के आधार पर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में किसी भी प्रकार के विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा एवं दोषी कर्मियों/पदाधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

६०।-

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक.....८७४...../विधि पूर्णियाँ, दिनांक-.....१५/४/२०१५.....

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक/ उप विकास आयुक्त/ अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी/ स्थापना उपसमाहर्ता/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/ जिला सहकारिता पदाधिकारी/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/ श्रम अधीक्षक/ प्रभारी पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना/प्रभारी पदाधिकारी, समाजिक सुरक्षा कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, लोकायुक्त कोषांग, पूर्णियाँ/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, / बनमनखी/ धमदाहा/ बायसी/ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सदर/ धमदाहा/ बनमनखी/ नोडल पदाधिकारी, बायसी/ अंचलअधिकारी, पूर्णियाँपूर्व/ धमदाहा/ जलालगढ़/ रूपौली/ बी०कोठी/ के०नगर/ बायसी/ बनमनखी/ कसबा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनमनखी/ बी०कोठी/ पूर्णियाँ पूर्व/ भवानीपुर/ रूपौली/ धमदाहा, जिला पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

६०।-

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक.....८७४...../विधि पूर्णियाँ, दिनांक-.....१५/४/२०१५.....

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ।

Rajesh

१५/४/१५
जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।